

31.10.2023

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। शीमान् P.O. शाह राजकार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली वादते जबाब दावा दि. 12.06.2024 को पेश होवे।

श्रीमान्
रीवा

Not Proc.

2.06.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। वकील वादी पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते एवं ब्यायालय द्वारा अब तक की गई कार्यवाही से संतुष्ट हैं; वकील वादी द्वारा पत्रावली नोट-प्रेस करने का निवेदन किया गया। वकील वादी द्वारा नोट-प्रेस किये जाने के आधार पर वाद खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

पत्रावली फॅसलं शुमार होकर दाखिल
दफतर होवे।

P

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा